ालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज.

तारीख रजू ....

15/13

या. कैलाश बनाम गिरजि

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.4.13	वकील वादी उपस्थित। मय दावा वकील वादी ने पेश किया। दर्ज पंजिका हो। प्रतिवादी गण जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली दिनांक 8.5.13 को पेश हो। SDO	3794 12.4.2013
8/5/13	फेरीकेन उप०/P.O. साहब आवश्यक ...! पत्रावली दिनांक 12/6/13 को पेश हो। पीठा०	
12/6/13	बकुलाय फेरीकेन उप०/P.O. साहब ... ! पत्रावली दिनांक 26/7/13 को पेश हो। पीठा०	
26/7/13	बकुलाय फेरीकेन उप०/P.O. साहब ... ! पत्रावली दिनांक 20/9/13 को पेश हो। पीठा०	
20/9/13	बकुलाय फेरीकेन उप०/P.O. साहब ... ! पत्रावली दिनांक 25/10/13 को पेश हो। पीठा०	
25-10-13	बकुलाय फेरीकेन उप०/P.O. साहब ... ! पत्रावली दिनांक 6-12-13 को पेश हो। पीठा०	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/4/22	वकील वादी .... उपस्थित। हाजिर मय पत्रावली दिनांक 11.3.22 बजे .... जवाब पेश करने हेतु .... अंतिम बहस हेतु दिनांक 7/4/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर	
7.4.22	वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पेश हुई वकील वादी सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 22/4/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
22/4/22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। अतः दावा डिक्री किया जाता है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रिकार्ड में डिक्रीनुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली मौसल कुमार बेकार नम्बर से नकल होने बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

उपस्थित :–

श्री सतेन्द्र शर्मा एडवोकेट– वकील वादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.04.2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 220 रकवा 0.23 हे. वाके ग्राम खेरली तरफ रेला तहसील कठूमर व खसरा नम्बर 222 रकवा 1.52 हे. वाके ग्राम अर्रूवा तहसील कठूमर में स्थित है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादीगण, तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 व प्रतिवादी सं0 1 एक ही बुजुर्ग श्री मूलचन्द के वारिसान है। परिवार का सजरा दावा के पैरा सं0 2 में अंकित किया है।उपरोक्त विवादित आराजी श्री मूलचन्द की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो विरासत में प्रतिवादी सं0 1 को प्राप्त हुई है। वादीगण को विवादित आराजी में बाई बरथ यानि जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। वादीगण विवादित आराजी के 5/6 हिस्से के काविज कृशक खातेदार है तथा खातेदारी प्राप्त करने के मुस्तहक है। प्रतिवादी सं0 1 ने विना किसी हक व अधिकार के आराजी खसरा नम्बर 220 वाके ग्राम खेरली तरफ रेला व आराजी खसरा नम्बर 222 रकबा 1.52 हे. वाके ग्राम अर्रूवा के वयनामा किता 2 दिनांक 24.03.2013 को विना जरे बदल प्रतिवादी सं0 2 के हक में तहरीर कराकर पंजीवद्व कराये है। जो वयनामें वादीगण के हक हकूकों के मुकाविले प्रारम्भ से ही शून्य हैं जिन्हें वादीगण के हिस्से तक शून्य घोषित फर्माया जावे। प्रतिवादी सं0 2 ने वादीगण को खुले आम धमकी दी है कि मैं वयनामाओं के आधार पर अपने नाम इन्तकाल दर्ज वं तस्दीक कराकर तुम्हें विवादित आराजी से जवरन वेदखल कर विवादित आराजी पर कब्जा करके रहूँगा तथा इन्तकाल अपने नाम कराकर इसे दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा दूँगा। प्रतिवादी अपनी वेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहा है यदि प्रतिवादी अपने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्ववाद संख्या1 / 57 / 2013

वउनवान

1. कैलाश पुत्र गिर्राज जाति खाती निवासी खेरली तरफ रेला मन्दवुद्वि वसरपरस्त जमना पुत्री गिर्राज पत्नी रामदयाल जाति खाती निवासी खेरली तरफ रेलाहाल मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा
2. जमनी पुत्री गिर्राज पत्नी रामदयाल जाति खाती निवासी खेरली तरफ रेला तहसील कठूमर हाल मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा
3. पिस्ता पुत्री गिर्राज पत्नी सुगन जाति खाती निवासी खेरली तरफ रेला हाल खैडामैदा तहसील कठूमर
4. ववली पुत्री गिर्राज पत्नी सुभाश जाति खाती निवासी खेरली तरफ रेला तहसील कठूमर हाल खैडामैदा तहसील कठूमर

------वादीगण

बनाम

1. गिर्राज पुत्र मूलचन्द जाति खाती निवासी खेरली तरफ रेला (मृतक)
2. अशोक कुमार पुत्र राधे याम जाति खाती निवासी झालाटाला (लक्ष्मणगढ)
3. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर
4. पटवारी हल्का अरूवा तहसील कठूमर जिला अलवर
5. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

असल प्रतिवादीगण

6. गंगा पुत्री गिर्राज पत्नी जगदीश जाति खाती निवासी खेरली तरफ रेला हाल मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा

तर0 प्रतिवादी

दावा घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

नापाक ईरादों में कामयाव हो गया तो वादीगण तवाह एंव वर्वाद हो जावेगें। अतः वादीगण प्रतिवादी को डिक्री हुक्मइन्तनाइई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण ने दावा मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। दिनांक 08.05.2013 को पतिवादी सं0 1–2 की ओर से श्री भागचन्द जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 20.09.2013 को प्रतिवादी सं0 1 की ओर से श्री जितेन्द्र गर्ग एडवोकेट ने बकालतनामा व ईकवाल जवाव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया किया। दिनांक 17.01.2014 को आर्डर 22 रूल 4 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रतिवादी सं0 1 का नाम तर्क करने का निवेदन किया। दिनांक 06.1. 2017 को प्रतिवादी सं0 6 की ओर से श्री त्रिलोक शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा व ईकवाल जवाव पेश किया।

प्रतिवादी सं0 1 व 6 ने हाजिर अदालत होकर दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये ईकवाल जवाव पेश किये। दिनांक 21.01.2020को प्रतिवादी सं0 2 व 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 3, 4, 5 की ओर से पैरोकार सरकार ने दिनांक 14.02. 2020 को राज्यहित प्रभावित नहीं है जवाव नहीं देना चाहते अंकित किया है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत् 2066 ला0 69 प्रदर्श 2 जमाबन्दी बन्दोवस्त संवत् 2068 से 2071 प्रदर्श 3 जमाबन्दी खतोनी बन्दोबस्त प्रदर्श 4 वयनामा दिनांक 24.03.2013 प्रदर्श 5 नकल वयनामा दिनांक 24.03.2022 पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाहPW1वादिया जमना PW2वादिया पिस्ता PW3 महेश पुत्र रतीरामPW4 लक्ष्मण पुत्र जोरमल जाट के वयान पंजीवद्व कराये है जो संलग्न पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी सं0 1 व 6 द्वारा पेश किये गये इकवाल जवाव व गवाहान के वयान का अवलोकन किया। वहस विद्वान अधिवक्ता वादीगणसुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण के वुजुर्ग मूलचन्द की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो मूलचन्द से प्रतिवादी सं0 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त आराजी का 5/6 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 6 को विरासत में प्राप्त हुआ है तथा 5/6 हिस्से के खातेदारी प्राप्त करने के मुस्तहक है। प्रतिवादी सं0 1 ने विवादित आराजी के विना जरे वदल किये किता 2 वयनामा प्रतिवादी सं0 2 के हक में पंजीवद्व कराये है जो गलत है जिन्हें शून्य करार दिया जावे तथा बादीगण एंव तरतीवी पतिवादी सं0 6 को विवादित आराजी के 5/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 2 को डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे।प्रतिवादी सं0 1 व 6 ने दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये ईकवाल जवाव पेश किया है। प्रतिवादी सं0 2 ने उपस्थित होकर जवाव पेश नहीं किया और ना ही कोई साक्ष्य पेश की। वाद वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सावित है। अतः दावा वादीगण मुताविक अनुतोश डिकी किया जावे। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने कथनों की पुश्टि में कानूनी नजीर आर आर डी 2002 पेज 691 से 693, आर आर टी 2018(1) पेज 642 से 654 तथा आर आर टी 2019(2) पेज 21550 से 1554 आर आर टी 2018(1) पेज 584 से 588 की छाया प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

प्रदर्श 1 जमाबन्दी में खसरा नम्बर 220 वाके ग्राम खेरली तरफ रेला व प्रदर्श 2 जमाबन्दी में खसरा नम्बर 222 वाके ग्राम अर्रूवा गिर्राज पुत्र मूलचन्द की खातेदारी में दर्ज है। प्रदर्श–3 भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी में खसरा नम्बर 220 वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

खेरली तरफ रेला व खसरा नम्बर 222 वाके ग्राम अर्रुवा मूलचन्द पुत्र भवानी कौम खाती सा0 देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श 4–5 वयनामा किता 2 दिनांक 24.03.2013 ग्राम खेरली तरफ रेला व ग्राम अर्रुवा वावत है। जिन वयनामों के अवलोकन से प्रतिवादी सं0 1 गिर्राज द्वारा खसरा नम्बर 220 वाके ग्राम खेरली तर्फ रेला व खसरा नम्बर 222 वाके ग्राम अर्रुवा प्रतिवादी सं0 2 अशोककुमार को वेचान किया गया है। वादीगण का कथन कि विवादित आराजी वादीगण के दादा व प्रतिवादी सं0 1 के पिता मूलचन्द की खातेदारी की आराजी है जो प्रतिवादी सं0 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। विवादित आराजी पैत्रिक हो व वादीगण के दादा मूलचन्द की खातेदारी में रही हो इस वावत वादीगण ने दावा के साथ प्रदर्श 3 वाके ग्राम खेरली तरफ रेला व ग्राम अर्रुवा की भू प्रबन्ध की जमाबन्दी पेश की है जिसमें विवादित आराजी मूलचन्द पुत्र भवानी की खातेदारी में दर्ज है। यह निर्विवाद है कि मूलचन्द वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 का दादा व प्रतिवादी सं0 1 मृतक गिर्राज का पिता है।दादा की पैदा कर्दा आराजी में उसके पोत्र पोत्रियों को हक हिस्सा व अधिकार होता है इस वावत वादीगण ने कानूनी नजीर पेश की है जिनके अवलोकन से यह प्रमाणित है कि दादा की पैदा कर्दा आराज़ी में उसके पोत्र पोत्रियों को जन्म से ही हक् हिस्सा व अधिकार पैदा होते है।प्रतिवादी सं0 2 मय वकील दिनांक 08.05.2013 को हाज़िर अदालत हुआ लेकिन दिनांक 31.01.2020 को अधिवक्ता व प्रतिवादी सं0 2 हाजिर अदालत नहीं हुये और ना अपनी ओर से दावा में कोई जवाव दावा, उज्र व एतराज पेश किये जिससे सावित है कि प्रतिवादी सं0 2 का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाहान के वयान से विवादित आराजी वादीगण के वुजुर्ग मूलचन्द की सावित है। जिस पर वादीगण का 4/6 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 को 1/6 हिस्सा पर कब्जा सावित है। प्रतिवादी सं0 1 ने पैत्रिक आराजी को विना किसी हक व अधिकार के खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरुद्ध तरीके से प्रतिवादी सं0 2 के हक् में विना जरे बदल किये वयनामा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

किता 2 पंजीवद्व कराये है। वादीगण के दावा की मुख्य रिलीफ घोशणात्मक की है। वयनामों को शून्य करार दिये जाने का अनुतोश अनुबांशिक है। अतः ऐसे मामलों की सुनवाई का क्षैत्राधिकार अदालत हाजा को है। जो अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर से सावित है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण पर पूरी तरह चस्पा होती है। अतः वादीगण विवादित आराजी में 4/6 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी सं0 6, 1/6 हिस्सा की अपने नाम घोषणा कराने व प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 के हक में गैरकानूनी ढंग से कराये गये वयनामा किता 2 को वादीगण एंव तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 के 5/6 हिस्से तक शून्य एंव वेअसर करार दिलाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः वाद वादीगण सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण वावत आराजी घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत खसरा नम्बर220 रकवा 0.23 हे. वाके ग्राम खेरली तर्फ रेला तहसील कठूमर व खसरा नम्बर 222 रकवा 1.52 हे. वाके ग्राम अरूवा तहसील कठूमर का वादीगण को 4/6 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है तथा हाल राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। वयनामा दिनांक 24.03.2013 पुस्तक सं0 1 जिल्द संख्या 384 के पृश्ट संख्या 90 कम संख्या 2013000690 पर पंजीवद्व किया गया है तथा वयनामा दिनांक 24.03.2013 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 384 के पृश्ट संख्या 91 के कम संख्या 2013000691 पर पंजीवद्व किया गया है उन्हें वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 के 5/6 हिस्से तक शून्य व वेअसर करार दिये जाते है। डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से प्रतिवादी सं0 2 को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी स0 6 के 5/6 हिस्सा के कब्जे काश्त में किसी तरह

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें। प्रतिवादी सं0 3 व 4 उक्त वयनामा किता 2 दिनांक 24.03.2013 के आधार पर इन्तकाल दर्ज व तस्दीक ना करें तथा प्रतिवादी सं0 5 उक्त आराजी वावत किसी तरह का वयनामा रहननामा आदि दस्तावेज तस्दीक व पंजीवद्व ना करे। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 22.04.2022 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्ववाद संख्या1 / 57 / 2013

वउनवान

1. कैलाश पुत्र गिर्राज जाति खाती निवासी खेरली तरफ रेला मन्दवुद्धि वसरपरस्त जमना पुत्री गिर्राज पत्नी रामदयाल जाति खाती निवासी खेरली तरफ रेला हाल मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा
2. जमना पुत्री गिर्राज पत्नी रामदयाल जाति खाती निवासी खेरली तरफ रेला तहसील कठूमर हाल मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा
3. पिस्ता पुत्री गिर्राज पत्नी सुगन जाति खाती निवासी खेरली तरफ रेला हाल खैडामैदा तहसील कठूमर
4. ववली पुत्री गिर्राज पत्नी सुभाश जाति खाती निवासी खेरली तरफ रेला तहसील कठूमर हाल खैडामैदा तहसील कठूमर

------डिक्रीदारान

बनाम

1. गिर्राज पुत्र मूलचन्द जाति खाती निवासी खेरली तरफ रेला (मृतक)
2. अशोक कुमार पुत्र राधेश्याम जाति खाती निवासी झालाटाला (लक्ष्मणगढ)
3. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर
4. पटवारी हल्का अरूवा तहसील कठूमर जिला अलवर
5. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

-मदयूनान

6. गंगा पुत्री गिर्राज पत्नी जगदीश जाति खाती निवासी खेरली तरफ रेला हाल मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा

तर0 प्रतिवाद्गी

दावा घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अतः वाद वादीगण वावत आराजी घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत खसरा नम्बर 220 रकवा 0.23 हे. वाके ग्राम खेरली तर्फ रेला तहसील कठूमर व खसरा नम्बर 222 रकवा 1.52 हे. वाके ग्राम अर्रूवा तहसील कठूमर का वादीगण को 4/6 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है तथा हाल राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। वयनामा दिनांक 24.03.2013 पुस्तक सं0 1 जिल्द संख्या 384 के पृश्ट संख्या 90 कम संख्या 2013000690 पर पंजीवद्व किया गया है तथा वयनामा दिनांक 24.03.2013 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 384 के पृश्ट संख्या 91 के कम संख्या 2013000691 पर पंजीवद्व किया गया है उन्हें वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 के 5/6 हिस्से तक शून्य व वेअसर करार दिये जाते है। डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से प्रतिवादी सं0 2 को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी स0 6 के 5/6 हिस्सा के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें।प्रतिवादी सं0 3 व 4 उक्त वयनामा किता 2 दिनांक 2403.2013 के आधार पर इन्तकाल दर्ज व तस्दीक ना करें तथा प्रतिवादी सं0 5 उक्त आराजी वावत किसी तरह का वयनामा रहननामा आदि दस्तावेज तस्दीक व पंजीवद्व ना करें। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे।

आजदिनांक 22.04.2022 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)